



सत्यमेव जयते
ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE



सत्यमेव जयते



भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
ट्रॉम्बे, मुंबई-400 085, महाराष्ट्र

(ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए वेबसाइट : <https://barconlineexam.com>)

"सरकार एक ऐसा कार्यबल बनाने के लिए प्रयास करती है जिसमें लिंग संतुलन प्रतिबिंबित हो और महिला अभ्यर्थियों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

विज्ञापन संख्या 03/2023/भापअ केंद्र

सीधी भर्ती / प्रशिक्षण योजना के द्वारा परमाणु ऊर्जा विभाग (पऊवि) के संघटक इकाईयों के विभिन्न पदों की भर्ती हेतु पात्र भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि और समय	24-04-2023 (10.00 hrs)
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि और समय	22-05-2023 (23.59 hrs)

सीधी भर्ती

	पद	रिक्तियों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन स्तर	आरंभिक वेतन (रु.)
I.	तकनीकी अधिकारी/सी	181	वर्ग-क	लेवल 10	56,100
II.	वैज्ञानिक सहायक/बी	07	वर्ग-ख	लेवल 6	35,400
III.	तकनीशियन/बी	24	वर्ग-ग	लेवल 3	21,700

प्रशिक्षण योजना (वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु)

	श्रेणी	रिक्तियों की संख्या	वृत्तिका (स्टाइपेंड)	
			प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष
I.	कैटगरी I	1216	रु.24,000/-	रु.26,000/-
II.	कैटगरी II	2946	रु.20,000/-	रु. 22,000/-

1. रिक्तियों का ब्योरा

विभिन्न विषयों / ट्रेडों में रिक्तियों का विवरण, आवश्यक शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता और विभिन्न श्रेणियों में आरक्षण का विवरण नीचे दिया गया है।

1.1 सीधी भर्ती

1.1.1 तकनीकी अधिकारी/सी

निम्नलिखित विषयों में तकनीकी अधिकारी/सी के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यताएं जैसे एम.एससी., एम.लिब., बी.ई. / बी.टेक. केंद्र या राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा मंडल / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए।

पद कोड	विषय	रिक्तियों की संख्या						न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिग्री
		अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	कुल	
डीआर-01	जैव विज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव रसायन / कीटाणु विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी	0	0	0	1	0	1	एम.एससी. (जैव विज्ञान / जैविक विज्ञान / जैव रसायन / कीटाणु विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी)
डीआर-02	रसायन विज्ञान	1	0	3	0	5	9	एम.एससी. (रसायन विज्ञान)
डीआर-03	भौतिक विज्ञान	2	0	4	1	7	14	एम.एससी. (भौतिक विज्ञान)
डीआर-04	वास्तुकला	0	0	0	0	1	1	बीई/बी.टेक. (वास्तुकला)
डीआर-05	रसायन	3	2	3	2	10	20	बीई/बी.टेक. (रसायन)
डीआर-06	सिविल	3	1	6	3	7	20	बीई/बी.टेक. (सिविल)
डीआर-07	कंप्यूटर विज्ञान	1	0	6	3	2	12	बीई/बी.टेक. (कंप्यूटर विज्ञान / कंप्यूटर अभियांत्रिकी / कंप्यूटर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी)
डीआर-08	ड्रिलिंग	2	0	1	1	4	8	बीई/बी.टेक. (मैकेनिकल / ड्रिलिंग)
डीआर-09	इलेक्ट्रिकल	2	1	7	3	10	23	बीई/बी.टेक. (इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक्स)
डीआर-10	इलेक्ट्रानिक्स	4	2	5	1	3	15	बीई/बी.टेक. (इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स एवं इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्प्यूनिकेशन / इलेक्ट्रानिक्स एवं नियंत्रण / इलेक्ट्रानिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन / इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्प्यूनिकेशन)
डीआर-11	इंस्ट्रुमेंटेशन	1	0	2	1	4	8	बीई/बी.टेक. (इंस्ट्रुमेंटेशन / इंस्ट्रुमेंटेशन एवं नियंत्रण / इलेक्ट्रानिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन)
डीआर-12	मैकेनिकल	8	4	11	6	15	44	बीई/बी.टेक. (मैकेनिकल)
डीआर-13	धातुकी	0	0	1	0	2	3	बीई/बी.टेक. (धातु एवं सामग्री / धातुकर्म एवं सामग्री / सामग्री / धातुकर्म)
डीआर-14	खनन	0	0	0	0	2	2	बीई/बी.टेक. (खनन)
पद कोड	विषय	रिक्तियों की संख्या						न्यूनतम 55% अंकों के साथ डिग्री
		अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	कुल	
डीआर-15	पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान	0	0	0	0	1	1	एम.लिब. (सूचना विज्ञान) एम.लिब. प्राप्त करने के बाद विश्वविद्यालय स्तर के पुस्तकालय में एक जिम्मेदार क्षमता में 4 वर्ष के अनुभव सहित अथवा एम.लिब. (सूचना विज्ञान) के साथ एनईटी

प्रयुक्त संक्षेपाक्षर - अजा (अनुसूचित जाति), अजजा (अनुसूचित जनजाति), अपिव (अन्य पिछड़ा वर्ग), आकव (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग), अना (अनारक्षित)

तकनीकी अधिकारी/सी पद हेतु बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (PwBD) श्रेणियों के लिए आरक्षित विषय

पोस्ट कोड	विषय	दिव्यांगता का प्रकार	रिक्तियों की संख्या
डीआर-03	भौतिक विज्ञान	अल्प दृष्टि (पीबी-एलवी)	1
डीआर-04	वास्तुकला	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	1
डीआर-10	इलेक्ट्रानिक्स	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	1
		गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	1

टिप्पणी :

अल्प दृष्टि (एलवी) : (i) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अनधिक अथवा 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (सेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता; या (ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक निम्न कोण के सामने हो।

सुनने में मुश्किल (एचएच): वह व्यक्ति जिसकी उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल क्षति हो, बेहतर कान में संवादी आवृत्ति रेंज में 60 डेसिबल या उससे अधिक की क्षति हो।

गतिविषयक दिव्यांगता (एलडी-ओएल): शारीरिक विकृति 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

1.1.2 वैज्ञानिक सहायक/बी

निम्नमलिखित विषय मे वैज्ञानिक सहायक/बी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। इस पद के लिए शैक्षणिक योग्यता बी.एससी. केंद्र या राज्य सरकार के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी एमएससी एकीकृत पाठ्यक्रम कर रहे हो/पूरा कर चुके हो उन्हें बी.एससी. डिग्री प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

पद कोड	विषय	रिक्तियों की संख्या						न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिग्री
		अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	कुल	
डीआर-16	खाद्य प्रौद्योगिकी / गृह विज्ञान / पोषण	1	0	3	0	3	7	बी.एससी. (खाद्य प्रौद्योगिकी / गृह विज्ञान / पोषण)

1.1.3 तकनीशियन/बी

निम्नमलिखित ट्रेड मे तकनीशियन/बी पद के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएँ केंद्र या राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

पद कोड	ट्रेड	रिक्तियों की संख्या						शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता
		अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	कुल	
डीआर-17	बॉयलर एटेंडेंट	1	3	6	4	10	24	एसएससी एवं द्वितीय श्रेणी बॉयलर एटेंडेंट प्रमाणपत्र

1.2 प्रशिक्षण योजना

1.2.1 कैटगरी-1 वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु

निम्नमलिखित विषय मे कैटगरी-1 वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएँ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / केंद्र या राज्य सरकार के तकनीकी शिक्षा बोर्ड से होनी चाहिए। डिप्लोमा, एसएससी के बाद 3 वर्ष या एचएससी / आईटीआई / बीएससी के बाद 2 वर्ष का होना चाहिए। जो अभ्यर्थी एम.एससी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं / पूर्ण कर चुके हैं और पोस्ट कोड संख्या TR-01 से TR-06 के लिए आवेदन कर रहे हैं, उन्हें बी.एससी डिग्री का सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा।

पद कोड	विषय	रिक्तियों की संख्या						न्यूनतम 60% अंकों के साथ डिग्री / डिप्लोमा
		अज्ञा	अज्ञा	अपिव	आकव	अना	कुल	
टीआर-01	जैव रसायन/ जैव विज्ञान / जैविक विज्ञान / जीवविज्ञान	2	0	7	0	12	21	बी.एससी. (जैव रसायन / जैव विज्ञान / जैविक विज्ञान / जीवविज्ञान) या संबद्ध जैविक विज्ञान में बी.एससी.
टीआर-02	रसायन विज्ञान	24	14	60	19	52	169	बी.एससी. (रसायन विज्ञान) प्रमुख विषय के रूप में रसायन विज्ञान और सहायक विषयों के रूप में भौतिकी / गणित / सांख्यिकी / जीव विज्ञान अथवा बी.एससी. समान वेटेज वाले विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ
टीआर-03	भौतिक विज्ञान	23	13	41	11	29	117	बी.एससी. (भौतिकी) प्रमुख विषय के रूप में भौतिकी और सहायक विषयों के रूप में रसायन विज्ञान / गणित / सांख्यिकी / जीव विज्ञान के साथ अथवा समान वेटेज वाले विषयों के रूप में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के साथ बी.एससी.
टीआर-04	कंप्यूटर विज्ञान	3	0	5	5	12	25	बी.एससी. (कंप्यूटर विज्ञान) अथवा बी.एससी. के साथ कंप्यूटर साइंस में एक वर्ष का डिप्लोमा
टीआर-05	कृषि	0	0	0	0	2	2	बी.एससी. (कृषि)
टीआर-06	बागवानी	0	0	1	1	4	6	बी.एससी. (बागवानी)
टीआर-07	रसायन	23	10	59	16	63	171	डिप्लोमा (रसायन)
टीआर-08	इलेक्ट्रिकल	27	12	45	18	42	144	डिप्लोमा (इलेक्ट्रिकल)
टीआर-09	इलेक्ट्रानिक्स	18	7	32	11	30	98	डिप्लोमा (इलेक्ट्रानिक्स / इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन / इलेक्ट्रानिक्स एवं कम्यूनिकेशन)
टीआर-10	इलेक्ट्रानिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन	8	2	20	7	22	59	डिप्लोमा (इलेक्ट्रानिक्स एवं इंस्ट्रुमेंटेशन / इंस्ट्रुमेंटेशन / इंस्ट्रुमेंटेशन एवं नियंत्रण)
टीआर-11	मैकेनिकल	48	24	107	46	103	328	डिप्लोमा (मैकेनिकल)
टीआर-12	धातुकी	1	0	1	2	1	5	डिप्लोमा (धातुकी)
टीआर-13	वास्तुकला	1	0	0	0	1	2	डिप्लोमा (वास्तुकला)
टीआर-14	सिविल	8	2	18	14	20	62	डिप्लोमा (सिविल)
टीआर-15	ऑटोमोबाइल	0	0	2	1	1	4	डिप्लोमा (ऑटोमोबाइल)

पद कोड	विषय	रिक्तियों की संख्या						डिग्री / डिप्लोमा
		अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	कुल	
टीआर-16	औद्योगिक सुरक्षा	1	1	0	0	1	3	न्यूनतम 50% अंकों के साथ अभियांत्रिकी में डिप्लोमा तथा औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स अथवा न्यूनतम 50% अंकों के साथ बी.एससी. तथा औद्योगिक सुरक्षा में एक वर्षीय डिप्लोमा / सर्टिफिकेट कोर्स

कैटगरी-I वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु हेतु बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (PwBD) श्रेणियों के लिए आरक्षित विषय

पद कोड	विषय	दिव्यांगता का प्रकार	रिक्तियों की संख्या
टीआर-01	जैव रसायन/ जैव विज्ञान / जैविक विज्ञान / जीवविज्ञान	गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	1
टीआर-02	रसायन विज्ञान	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	3
		गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	1
		गतिविषयक दिव्यांगता - बौनापन (एलडी-डीडब्लू)	1
टीआर-03	भौतिक विज्ञान	गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	1
		अल्प दृष्टि (पीबी-एलवी)	1
टीआर-04	कंप्यूटर विज्ञान	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	3
		अल्प दृष्टि (पीबी-एलवी)	1
		गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	2
		गतिविषयक दिव्यांगता - वन आर्म (एलडी-ओए)	2
टीआर-06	बागवानी	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	1
टीआर-09	इलेक्ट्रानिक्स	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	6
		गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	3
		गतिविषयक दिव्यांगता - वन आर्म (एलडी-ओए)	2
टीआर-11	मैकेनिकल	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	1
टीआर-14	सिविल	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	2
		अल्प दृष्टि (पीबी-एलवी)	2
		गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	1
		गतिविषयक दिव्यांगता - वन आर्म (एलडी-ओए)	1

टिप्पणी:

अल्प दृष्टि (एलवी) : (i) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अनधिक अथवा 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (स्नेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता; या (ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक निम्न कोण के सामने हो।

सुनने में मुश्किल (एचएच): वह व्यक्ति जिसकी उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल क्षति हो, बेहतर कान में संवादी आवृत्ति रेंज में 60 डेसिबल या उससे अधिक की क्षति हो।

गतिविषयक दिव्यांगता (एलडी-ओएल/ओए): शारीरिक विकृति 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

बौनापन (एलडी-डीडब्लू): एक वयस्क जिसकी ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेमी) या उससे कम हो।

1.2.2 कैटगरी-II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु

निम्नमलिखित ट्रेड में कैटगरी- II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित है। शैक्षणिक / तकनीकी योग्यताएँ केंद्र या राज्य सरकार के किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी शिक्षा बोर्ड से होनी चाहिए।

पद कोड	ट्रेड	रिक्तियों की संख्या						शैक्षणिक / तकनीकी योग्यता
		अजा	अजजा	अपिव	आकव	अना	कुल	
टीआर-17	फिटर	56	36	152	112	342	698	कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंकों के साथ एसएससी (विज्ञान और गणित के साथ) और संबंधित ट्रेड में ट्रेड सर्टिफिकेट *
टीआर-18	टर्नर / मशीनिस्ट	19	6	36	45	107	213	
टीआर-19	वेल्डर	6	8	23	17	45	99	
टीआर-20	मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस	0	1	4	0	13	18	
टीआर-21	इलेक्ट्रीशियन	27	22	119	54	177	399	
टीआर-22	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	14	17	54	24	117	226	
टीआर-23	इंस्ट्रुमेंट मैकेनिक	11	8	35	20	78	152	
टीआर-24	रेफ्रीजेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक	4	5	28	9	49	95	
टीआर-25	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)	3	3	14	5	27	52	
टीआर-26	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	1	0	2	4	8	15	
टीआर-27	राजमिस्त्री	2	1	8	6	13	30	
टीआर-28	प्लंबर	1	0	12	8	21	42	
टीआर-29	बढ़ई	1	1	7	5	13	27	
टीआर-30	मोटर वाहन मैकेनिक	1	0	8	2	13	24	
टीआर-31	डीज़ल मैकेनिक	3	1	4	5	6	19	
टीआर-32	संयंत्र चालक	35	25	154	47	271	532	कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंकों के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ एचएससी
टीआर-33	प्रयोगशाला	6	22	90	25	160	303	कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंकों के साथ भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान विषयों के साथ एचएससी
टीआर-34	दंत तकनीशियन – हाइजिनिस्ट	0	0	1	0	0	1	कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंकों के साथ एचएससी (विज्ञान) और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्ष का डिप्लोमा।
टीआर-35	दंत तकनीशियन – मैकेनिक	0	0	0	0	1	1	

* ट्रेड सर्टिफिकेट (i) दो वर्ष की अवधि का राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाणपत्र (एनटीसी) (आईटीआई उत्तीर्ण) अथवा (ii) शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत दो वर्ष की अवधि का राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) अथवा (iii) एक वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई उत्तीर्ण) साथ ही पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद एक वर्ष का कार्य अनुभव अथवा (iv) एक वर्ष की अवधि का एनटीसी (आईटीआई उत्तीर्ण) और शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का एनएसी, के माध्यम से।

कैटगरी-II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु के लिए बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्ति (PwBD) श्रेणियों के लिए चिह्नित/आरक्षित ट्रेड

पद कोड	ट्रेड	दिव्यांगता का प्रकार	रिक्तियों की संख्या
टीआर-21	इलेक्ट्रीशियन	गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल) / कुछ रोग ठीक हुआ (एलडी-एलसी) / बौनापन (एलडी-डीडब्लू) / एसिड अटैक पीडिता (एलडी-एएवी)	2

पद कोड	ट्रेड	दिव्यांगता का प्रकार	रिक्तियों की संख्या
टीआर-22	इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक	गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	2
		गतिविषयक दिव्यांगता - बौनापन (एलडी-डीडब्लू)	1
टीआर-24	रेफ्रीजेशन और एयर कंडीशनिंग मैकेनिक	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	1
टीआर-25	ड्राफ्ट्समैन (मैकेनिकल)	गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	5
		गतिविषयक दिव्यांगता - वन आर्म (एलडी-ओए)	1
		गतिविषयक दिव्यांगता - (एलडी-ओएल / ओए)	1
		गतिविषयक दिव्यांगता - बौनापन (एलडी-डीडब्लू)	1
		सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	2
टीआर-26	ड्राफ्ट्समैन (सिविल)	गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	1
		अटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर (एएसडी) या विशिष्ट सीखने की अक्षमता (एसएलडी) या मानसिक बीमारी (एमआई) या बौद्धिक दिव्यांगता (आईडी)	1
टीआर-27	राजमिस्त्री	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	3
		अल्प दृष्टि (पीबी-एलवी)	1
टीआर-28	प्लंबर	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	1
		गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	1
		विशिष्ट सीखने की अक्षमता (एसएलडी)	2
टीआर-29	बढ़ई	विशिष्ट सीखने की अक्षमता (एसएलडी)	1
टीआर-33	प्रयोगशाला	सुनने में मुश्किल (पीडी-एचएच)	2
		गतिविषयक दिव्यांगता - एक पैर (एलडी-ओएल)	3

टिप्पणी:

अल्प दृष्टि (एलवी) : (i) सबसे अच्छे सुधार के साथ अच्छे नेत्र में दृश्य तीक्ष्णता 6/18 से अनधिक अथवा 20/60 से 3/60 अथवा 10/200 (खेल्लेन) से कम दृश्य तीक्ष्णता; या (ii) दृष्टि के क्षेत्र की सीमा 40 डिग्री से 10 डिग्री तक निम्न कोण के सामने हो।

सुनने में मुश्किल (एचएच): वह व्यक्ति जिसकी उच्चारण आवृत्ति श्रवण क्षमता में 60 डेसिबल से 70 डेसिबल क्षति हो, बेहतर कान में संवादी आवृत्ति रेंज में 60 डेसिबल या उससे अधिक की क्षति हो।

गतिविषयक दिव्यांगता (एलडी-ओएल/ओए): शारीरिक विकृति 40 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

बौनापन (एलडी-डीडब्लू): एक वयस्क जिसकी ऊंचाई 4 फीट 10 इंच (147 सेमी) या उससे कम हो।

1.2.3 शारीरिक मानदंड (प्रशिक्षण योजना पर लागू)

न्यूनतम उंचाई : 160 सेमी तथा न्यूनतम वजन : 45.5 कि.ग्रा.

(यदि अभ्यर्थी अन्यथा शाररिक रूप से स्वस्थ हो तो उन्हें छूट देय है।)

2. आयु सीमा (आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक)

इस केंद्र द्वारा आयु के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरी हुई वही जन्म तिथि स्वीकार की जाएगी जो एसएससी/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज है और बाद में इसमें परिवर्तन हेतु अनुरोध किए जाने पर न तो विचार किया जाएगा और नही उसे स्वीकार किया जाएगा।

2.1 सीधी भर्ती

	पद	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
I.	तकनीकी अधिकारी/सी	18	35	अभ्यर्थी का जन्म 23/05/1988 से पहले और 22/05/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।
II.	वैज्ञानिक सहायक/बी	18	30	अभ्यर्थी का जन्म 23/05/1993 से पहले और 22/05/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।
III.	तकनीशियन/बी	18	25	अभ्यर्थी का जन्म 23/05/1998 से पहले और 22/05/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।

2.2 प्रशिक्षण योजना

	वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	
I.	कैटगरी I – वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु	19	24	अभ्यर्थी का जन्म 23/05/1999 से पहले और 22/05/2004 के बाद का नहीं होना चाहिए।
II.	कैटगरी II – वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु	18	22	अभ्यर्थी का जन्म 23/05/2001 से पहले और 22/05/2005 के बाद का नहीं होना चाहिए।

2.3 आयु में छूट/ढील की सीमा

क्र.सं.	श्रेणी	आयु में छूट की सीमा
1	अन्य पिछड़ा वर्ग	3 वर्ष
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	5 वर्ष
3	पीडब्ल्यूबीडी (अनारक्षित)	10 वर्ष
4	पीडब्ल्यूबीडी (अ.पि.व.)	13 वर्ष
5	पीडब्ल्यूबीडी (एससी/अ.ज.जा.)	15 वर्ष
6	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	सैन्य सेवा की अवधि + 3 वर्ष
7	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक	45 वर्ष की उम्र तक
8	किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान या उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान अशक्त हुए और उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त हुए रक्षा कार्मिक (अजा/अजजा)	50 वर्ष की उम्र तक
9	केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारी जिन्होंने आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को कम से कम 3 वर्षों की नियमित व निरंतर सेवा की हो। उन पदों हेतु स्वीकार्य है जो एक ही पंक्ति या संबद्ध संवर्ग में हैं और जहां एक संबंध स्थापित किया जा सकता हो कि किसी विशेष पद पर पहले से की गई सेवा पद के कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए उपयोगी होगी।	ग्रुप सी के लिए 40 वर्ष की उम्र तक, एससी / एसटी के लिए 45 वर्ष तक। ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए: 5 वर्ष।
10	विधवाएं / तलाकशुदा महिलाएं / न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएं और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।	35 वर्ष की उम्र तक एससी / एसटी के लिए 40 वर्ष तक

टिप्पणी 1: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/पीडब्ल्यूबीडी के मामलों में आयु में छूट केवल वहीं लागू होगी जहां इस श्रेणी के लिए रिक्तियां आरक्षित हैं।

टिप्पणी 2: आयु में क्रमांक 6 से 10 तक निर्दिष्ट की गई छूट केवल सीधी भर्ती यथा, तकनीकी अधिकारी/सी और वैज्ञानिक सहायक/बी के तहत दर्शाई गई रिक्तियों के लिए लागू है, न कि कैटगरी-I और कैटगरी-II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षुओं के लिए।

टिप्पणी 3: मेधावी खिलाड़ी सीधी भर्ती पदों के लिए भारत सरकार के निर्देशों (OM No.DOPT-1668767575965 dated 18/11/2022) के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट के पात्र हैं।

3. चयन प्रक्रिया

3.1 तकनीकी अधिकारी/सी

पद के लिए चयन साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर होगा। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, इस केंद्र के पास, अखिल भारतीय स्तर पर अभ्यर्थियों हेतु संबंधित विषयों में कंप्यूटर आधारित छंटाई परीक्षा आयोजित करते हुए साक्षात्कार में बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या को सीमित करने का अधिकार सुरक्षित होगा। इस संबंध में केंद्र का निर्णय अंतिम होगा।

3.2 वैज्ञानिक सहायक/बी एवं कैटेगरी-I वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु

इनके लिए एक घंटे की अवधि की कंप्यूटर आधारित छंटाई परीक्षा अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जायेगी जिसमें 40 बहु विकल्पी प्रश्न (उत्तर चुनने हेतु 4 विकल्प) होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काट लिया जाएगा। उक्त परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, यथास्थिति, डिप्लोमा/बीएससी स्तर के विषयों के आधार पर होगा। छंटाई परीक्षा में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु लघुसूचीकृत किया जाएगा। साक्षात्कार का स्थान बाद में सूचित किया जाएगा।

इस संबंध में अंतिम चयन, साक्षात्कार में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर होगा तथा छंटाई परीक्षा में अर्जित अंको को कोई महत्व नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में केंद्र का निर्णय अंतिम होगा।

3.3 तकनीशियन/बी एवं कैटेगरी-II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु

चयन प्रक्रिया के तहत तीन चरणों में परीक्षाएं होंगी।

- चरण-1-प्रारंभिक परीक्षा
- चरण-2-उन्नत परीक्षा
- चरण 3-कौशल परीक्षा।

संबंधित ट्रेड के लिए चरण 1-प्रारंभिक परीक्षा तथा चरण 2-उन्नत परीक्षा हेतु, कंप्यूटर आधारित परीक्षा एक ही सत्र में अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित की जाएगी। चरण-2-उन्नत परीक्षा का मूल्यांकन केवल चरण-1-प्रारंभिक परीक्षा में पात्र पाये गये अभ्यर्थियों के लिये ही किया जाएगा।

चरण 1 – प्रारंभिक परीक्षा

- छंटाई परीक्षा एक घंटे की अवधि के लिए होगी जिसमें निम्नलिखित अनुपात में 50 बहु विकल्पी प्रश्न (उत्तर चुनने हेतु 4 विकल्प) होंगे :

गणित	- 20 प्रश्न
विज्ञान	- 20 प्रश्न
सामान्य जागरूकता	- 10 प्रश्न
- प्रत्येक सही उत्तर के लिये '3' अंक दिये जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काट लिया जाएगा।
- सामान्य श्रेणी के 40% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों तथा आरक्षित श्रेणी के 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छांट कर निकाल दिया जाएगा।

चरण 2 – उन्नत परीक्षा

- दो घंटे की अवधि की इस परीक्षा में 50 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे (उत्तर चुनने हेतु 4 विकल्प)।
- प्रत्येक सही उत्तर के लिए '3' अंक दिये जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए '1' अंक काट लिया जाएगा।
- केवल चरण 2 में प्राप्त अंक के आधार पर चरण-2 की समाप्ति पर अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
- सामान्य श्रेणी में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों तथा आरक्षित श्रेणी में 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को छांट कर निकाल दिया जाएगा।

चरण 3 – कौशल परीक्षा

- कौशल परीक्षा हेतु लघुसूचीकृत अभ्यर्थियों की संख्या चरण-2 में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की संख्या पर निर्भर होगी परंतु यह संख्या प्रत्येक ट्रेड में रिक्तियों की संख्या से 4-5 गुना से अधिक नहीं होगी।
- कौशल परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण के आधार पर होगी।

- चरण-2 उन्नत परीक्षा के पश्चात तैयार की गई मेरिट लिस्ट के आधार पर, अभ्यर्थियों को चरण 3 के लिए लघुसूचीकृत किया जाएगा। कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले अभ्यर्थियों को चरण-2 उन्नत परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट के क्रम में लघुसूचीकृत एवं नामिकाबद्ध किया जाएगा।

नामिकायन मानदंडों में बराबरी (टाई) होने की स्थिति में, निम्नलिखित क्रम में निपटारा किया जाएगा:

- चरण-2 में कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- चरण-1 में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- चरण-1 में कम ऋणात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- चरण-1 में, गणित में अधिक धनात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।
- चरण-1 की परीक्षा में, विज्ञान में अधिक धनात्मक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट में उच्चतर स्थान पर रखा जाएगा।

टिप्पणी: परीक्षाओं के किसी भी चरण में अंक के पुनर्मूल्यांकन/पुनःजांच का प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. आवेदन कैसे करें

4.1 अभ्यर्थियों को ऑनलाइन माध्यम से <https://barconlineexam.com> पर आवेदन करना होगा। किसी अन्य माध्यम/प्रकार के आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.2 आवेदन की अंतिम तिथि को जिन अभ्यर्थियों के पास निर्धारित पात्रता संबंधी योग्यता नहीं है / प्राप्त नहीं की है, वे आवेदन न करें। इस मामले में कोई पत्राचार या स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा।

4.3 अभ्यर्थी को कोई विकल्प चुनने अथवा कोई भी प्रविष्टि करने से पूर्व विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए।

4.4 एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि अभ्यर्थी एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद के लिए अलग-अलग आवेदन करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पूर्व, अभ्यर्थी को वन टाइम रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक कर स्वयं को पंजीकृत करने की आवश्यकता है।

4.5 आवेदन प्रपत्र भरने से पूर्व अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज / प्रमाणपत्र अपने पास तैयार रखने चाहिए। अभ्यर्थी को व्यक्तिगत विवरण एवं आवेदित पद हेतु विवरण आदि भरने की आवश्यकता है तथा समुचित सपाट पृष्ठभूमि पर सामने की ओर चेहरे की हाल ही में ली गई फोटो अपलोड करनी है।

4.6 ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक वैध ई-मेल तथा मोबाईल नंबर होना अनिवार्य है जिसे नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। अभ्यर्थी को भापअ केंद्र की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। डाक / कोरियर के माध्यम से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

4.7 फोटों एवं हस्ताक्षर अपलोड हेतु अनुदेश: फोटो छवि jpg/jpeg स्वरूप में हो एवं उसका आकार 165x125 पिक्सल एवं 50 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर: छवि का jpg/jpeg स्वरूप में आकार 80x125 पिक्सल एवं 20 केबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

4.8 अभ्यर्थी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते समय उनके फोटो एवं हस्ताक्षर प्रिव्यू में स्पष्ट रूप से दिखाई दें। यदि वेबसाइट के प्रिव्यू में प्रदर्शित फोटो/हस्ताक्षर छोटे अथवा अस्पष्ट है या बिलकुल दिखाई नहीं देता है तो इसका अर्थ है कि फोटो हस्ताक्षर आवश्यक मानकों के अनुरूप नहीं है एवं ऐसे मामलों में आवेदन अस्वीकृत / खारिज कर दिया जाएगा। अतएव, अभ्यर्थी को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई दें।

4.9 अभ्यर्थी किसी स्पष्टीकरण हेतु हेल्प डेस्क नं. 044-47749000 पर सोमवार से शनिवार तक प्रातः 10.00 बजे से सायः 6.30 तक संपर्क करें अथवा बीएआरसी वेबसाइट <https://barconlineexam.com> के होमपेज पर "फएक्यू (FAQ)" देखें।

4.10 सबमिट बटन पर क्लिक करने से पूर्व, अभ्यर्थी को यह परामर्श दिया जाता है कि भरे हुए संपूर्ण विवरण की सत्यता को जाँच लें। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में, नाम, जन्म तिथि आदि की प्रविष्टि सही और माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र (एसएससी) के अनुसार की गई है। कोई भी गलत सूचना अभ्यर्थिता को अयोग्य कर सकती है। आवेदन को अंतिम रूप से जमा करने के उपरांत किसी भी परिस्थिति में आवेदन प्रपत्र में दी गई किसी भी सूचना को सही करने/ परिवर्तन करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

4.11 ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र को जमा करने के उपरांत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रति का प्रिंट लेने / सहेज कर रखने की आवश्यकता है तथा इसे प्रमाणपत्र सत्यापन / चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक सुरक्षित रखना चाहिए।

4.12 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले आनलाइन आवेदन जमा कर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क अधिक व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा/असमर्थता हो सकती है और वेबसाइट पर लॉगिन करने में विफलता हो सकती है।

5. आवेदन शुल्क

5.1 आवेदन शुल्क का भुगतान आनलाइन माध्यम से करना होगा।

सीधी भर्ती	शुल्क की राशि	शुल्क से छूट प्राप्त श्रेणी
तकनीकी अधिकारी/सी	₹.500	अजा/अजजा, पीडब्ल्यूचूबीडी एवं महिलाएं
वैज्ञानिक सहायक/बी	₹.150	
तकनीशियन/बी	₹.100	अजा/अजजा, पीडब्ल्यूचूबीडी, भूतपूर्व सैनिक एवं महिलाएं
वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु	शुल्क की राशि	शुल्क से छूट प्राप्त श्रेणी
कैटगरी-I	₹.150	अजा/अजजा, पीडब्ल्यूचूबीडी एवं महिलाएं
कैटगरी -II	₹.100	

5.2 एक बार भुगतान किये गये शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य भावी भर्ती के लिए समायोजित किया जाएगा।

5.3 आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि अथवा उससे पूर्व कर दिया जाना चाहिए।

6. परीक्षा केंद्र

6.1 परीक्षाएं विभिन्न शहरों यथा अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, अमरावती (एपी), अमृतसर, ऐजवाल, ईटानगर, बडौदा (वडोदरा), बैंगलूरु, भागलपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चैन्नै, कोयंबतूर, कटक, दमन, देहरादून, दिल्ली, डिसपुर, एर्नाकुलम, गैंगटोक, गोरखपुर, गुंटूर, हैदराबाद, हुबली-धारवाड़, इंदौर, इफाल, जयपुर, जोधपुर, कांचीपुरम, कानपुर, करीमनगर (टिएस), कवरात्ती, कोलकाता, कोटा, कोहिमा, कोल्हापुर, लेह, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, नाशिक, पणजी, पटना, पोर्ट ब्लेयर, पुडुचेरी, पुणे, रायपुर, रांची, राउरकेला, शिमला, शिल्लांग, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, उदयपुर, वाराणसी, विजयवाडा, विशाखापत्तनम।

6.2 अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में वरीयता के क्रम में अपनी पसंद के शहर (अपने वर्तमान पते के निकट) ईंगित कर सकते हैं (केवल तीन शहरों में)। प्रत्येक शहर के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर केंद्रों का आवंटन तय किया जाएगा। इसलिए, अभ्यर्थियों को केंद्रों का चयन सावधानी से करना चाहिए। एक बार आबंटित शहर/केंद्र बदलने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। भापअ केंद्र बिना कोई कारण बताए केंद्र (केंद्रों) को जोड़ने या हटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

7. परीक्षा हेतु प्रवेश

7.1 प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा से काफी समय पहले इस केंद्र की वेबसाइट <https://barconlineexam.com> पर उपलब्ध करा दी जाएगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट अपने साथ परीक्षा हाल में लेकर आना होगा।

7.2 प्रवेश पत्र के अतिरिक्त, कम से कम दो पासपोर्ट आकार के सामने चेहरे वाले वर्तमान समय का रंगीन फोटोग्राफ, निम्न में कोई भी मूल वैध फोटो-पहचान पत्र जिसमें प्रवेश पत्र पर मुद्रित जन्मतिथि हो, लाना अनिवार्य है, जैसे,

- (a) आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट,
- (b) मतदाता पहचान पत्र,
- (c) ड्राइविंग लाइसेंस,
- (d) पैन कार्ड,
- (e) पासपोर्ट,
- (f) नियोक्ता द्वारा जारी पहचान पत्र (सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम),
- (g) रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूत-पूर्व सैनिक डिस्चार्ज पुस्तिका
- (h) केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी कोई अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र

7.3 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि का उल्लेख नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपने जन्म के प्रमाणस्वरूप एक अतिरिक्त दस्तावेज (उदाहरणतः मैट्रिक प्रमाणपत्र, केवल सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी अंक सूची, जन्म प्रमाणपत्र) अपने साथ लेकर आना होगा। प्रवेश पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और फोटो पहचान पत्र/जन्मतिथि के समर्थन में लाये गये प्रमाणपत्र में मेल न होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उपस्थित होने के समय अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लिखित कोई अन्य दस्तावेज भी अपने साथ लेकर आना होगा।

7.4 केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत अभ्यर्थियों को, यदि साक्षात्कार / कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाता है, तो अपने नियोक्ता द्वारा जारी "अनापत्ति प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करना चाहिए। एनओसी प्रस्तुत करने हेतु कोई भी अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

8. दस्तावेज सत्यापन (डीवी)

8.1 साक्षात्कार/कौशल परीक्षा से पूर्व, दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को सभी संगत निम्नलिखित प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियां, उनकी प्रतिलिपि एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। अपेक्षित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थियों की होगी अन्यथा, उनकी अभ्यर्थिता को तुरंत रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थीगण यह भी नोट करें कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दस्तावेजों की सत्यपरकता के सत्यापन पूर्ण होने तक उनकी अभ्यर्थिता अनंतिम होगी।

- (ए) आवेदन की अंतिम तिथि को न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करने के प्रमाण स्वरूप उचित अंकपत्रों/प्रमाण-पत्रों द्वारा समर्थित शैक्षणिक योग्यताएं। ऐसा न करने पर, ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी।
- (बी) जन्मतिथि का वैध प्रमाण (मैट्रिक/सेकेंडरी स्कूल प्रमाणपत्र)

- (सी) अजा/अजजा अभ्यर्थियों का जाति प्रमाणपत्र निर्धारित प्रपत्र में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ होना चाहिए तथा वह समुदाय संबंधित राज्य के संबंध में राष्ट्रपति के आदेशों में शामिल किया गया होना चाहिए। (अनुलग्नक-ए में दिए गए प्रपत्र के अनुसार)
- (डी) अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाणपत्र नॉन-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र (अनुलग्नक-बी) के साथ निर्धारित प्रपत्र में प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया होना चाहिए तथा जाति/समुदाय अन्य पिछड़ा वर्ग की केंद्रीय सूचियों में शामिल किया गया होना चाहिए। अ.पि.व. नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की वैधता का निर्धारण करने की निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि होगी।
- (ई) आयु छूट एवं आरक्षण के प्रयोजन हेतु अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य है "अन्य पिछड़े वर्ग के वे व्यक्ति जो क्रीमी लेयर से संबंधित नहीं हैं" जिनकी परिभाषा भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 08.09.93 के का.ज्ञा. संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी) में दी गई है और जो दिनांक 09/3/2004 के का.ज्ञा. संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरईएस), दिनांक 14/10/2008 के का.ज्ञा.संख्या 36033/3/2004-स्था.(आरईएस), दिनांक 27/05/2013 के का.ज्ञा. संख्या 36033/1/2013-स्था.(आरईएस) और भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के नवीनतम संशोधन दिनांक 13/09/2017 के का.ज्ञा. संख्या 36033/1/2013-स्था. (आरईएस) के अनुसार संशोधित है।
- (एफ) जो अभ्यर्थी अजा/अजजा/अपिव हेतु आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा जिनके परिवार की कुल वार्षिक आय रु.8 लाख (रुपये आठ लाख) से कम है, आ.क.व. हेतु आरक्षण के लाभ के लिए आ.क.व. के रूप में उनकी पहचान की जाएगी। इस आय में आवेदन वर्ष से पूर्व वित्त वर्ष हेतु सभी स्रोतों अर्थात्, वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय इत्यादि से प्राप्त आय को शामिल किया जाएगा जो कि डीओपीटी के का.ज्ञा. संख्या 36039/1/2019-स्था. (आरईएस) दिनांकित 31/01/2019, 11/06/2019 तथा संख्या 43011/11/2022-स्था. (आरईएस-II) दिनांकित 19/09/2022 के अनुसार होना चाहिए। अनुलग्नक-सी में दिये गये निर्धारित प्रपत्र में जारी किये गये आय एवं परिसंपत्ति प्रमाणपत्र को ही अभ्यर्थी के आ.क.व. वर्ग के अंतर्गत होने के दावे के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
- (जी) शारीरिक दिव्यांगता के संबंध में उचित प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र (अनुलग्नक डी एवं ई में दिये गये प्रपत्रों के अनुसार- केवल दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लागू)
- (i) केंद्र सरकार द्वारा दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 (1996 के 1) की धारा 73 की उप धारा (1) और (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 31/12/1996 को अधिसूचित दिव्यांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम, 1996 के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। केंद्र/राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम तीन सदस्यों का मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा जिसमें से कम से कम एक सदस्य संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ हो।
- (ii) जिनकी दिव्यांगता अस्थायी है, उनके लिए यह प्रमाण पत्र 5 वर्ष की अवधि तक ही वैध होगा। जहां दिव्यांगता की डिग्री में भिन्नता होने की संभावना हो, मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र की वैधता की अवधि को इंगित करना होगा। वे व्यक्ति जिनकी दिव्यांगता स्थाई है, उनके प्रमाणपत्र की वैधता को स्थायी रूप में दिखाया जा सकता है। आवेदक द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर, मेडिकल बोर्ड मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने निर्णय की पुनरावलोकन कर सकता है और मामले में ऐसा आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे।
- (एच) दृष्टिबाधित (अल्प दृष्टि) वर्ग में तलचिह्न (बेंचमार्क) दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि अभ्यर्थी चाहे, तो उसे प्रलेखक की सुविधा उपलब्ध करवायी जाएगी। तलचिह्न दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के शेष श्रेणियों के मामले में, परीक्षा के समय इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर प्रलेखक का प्रावधान उपलब्ध होगा कि संबंधित व्यक्ति के पास लिखने के लिए शारीरिक सीमा है, और अभ्यर्थी की ओर से परीक्षा लिखने के लिए प्रलेखक आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा अनुलग्नक एफ में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार जारी किया जाना चाहिए।
- (आई) प्रलेखक की नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
- (i) अभ्यर्थी को प्रलेखक की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (ii) जिस प्रलेखक की व्यवस्था की गई है, वह उस पद/रिक्ति/परीक्षा का अभ्यर्थी नहीं होना चाहिए जिसके लिए स्वयं अभ्यर्थी उपस्थित हो रहा हो। साथ ही एक से अधिक अभ्यर्थियों के लिए एक ही प्रलेखक की नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए। प्रलेखक और अभ्यर्थी इस आशय की घोषणा देंगे। कोई भी उल्लंघन, यदि किसी भी स्तर पर पाया जाता है, तो अभ्यर्थी और प्रलेखक दोनों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- (iii) अभ्यर्थी जिनकी दिव्यांगता की पहचान रियायत के लिए पात्र के रूप में नहीं की गई है, उन्हें प्रलेखक रखने की अनुमति नहीं है।
- (iv) यदि अभ्यर्थी अपने प्रलेखक का चयन करता है, तो प्रलेखक की योग्यता, परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी की योग्यता से एक स्तर कमतर होना चाहिए। स्वयं के प्रलेखक का विकल्प चुनने वाले बेंचमार्क अक्षमताओं वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा के समय अनुबंध जी में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार अपने प्रलेखक का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, परीक्षा के समय प्रलेखक को एक वैध पहचान पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किए गए प्रलेखक के साथ-साथ प्रलेखक के आईडी प्रूफ की एक फोटोकॉपी अनुलग्नक जी में प्रोफार्मा के साथ जमा की जाएगी। यदि, बाद में यह पाया जाता है कि प्रलेखक की योग्यता अभ्यर्थी द्वारा घोषित नहीं की गई है, तो अभ्यर्थी पद पर अपना अधिकार और उससे संबंधित दावों को खो देगा।
- (v) प्रलेखक के लिए विकल्प चुनने वाले अभ्यर्थियों को अनुबंध जी के अनुसार प्रलेखक का विवरण देना होगा, जिस पर परीक्षा के समय अभ्यर्थी और प्रलेखक दोनों के हस्ताक्षर होने चाहिए। प्रलेखक को परीक्षा केंद्र पर मूल वैध आईडी प्रूफ प्रस्तुत करना चाहिए, और अनुलग्नक जी पर पासपोर्ट आकार का फोटा चिपकाना चाहिए।
- (vi) बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति जिन्हें कंप्यूटर सिस्टम पर परीक्षा देने की अनुमति है, उन्हें एक दिन पहले कंप्यूटर सिस्टम की जांच करने की अनुमति है ताकि सॉफ्टवेयर/सिस्टम में कोई समस्या हो तो उसे ठीक किया जा सके। परीक्षा देने के लिए स्वयं के कंप्यूटर/लैपटॉप का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है। तथापि, कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं के लिए सहायक उपकरण जैसे कीबोर्ड, अनुकूलित माउस आदि की अनुमति दी जाती है।
- (vii) परीक्षा के दौरान लाए गए प्रलेखक द्वारा किसी भी कदाचार के लिए अभ्यर्थी जिम्मेदार होगा।
- (जे) तलचिह्न मानदंड वाले दिव्यांग व्यक्तियों को परीक्षा में प्रति घंटा 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- (के) परीक्षा हाल के अंदर पात्र अभ्यर्थी के साथ प्रलेखक के अलावा कोई अन्य परिचर को आने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (एल) दिव्यांग अभ्यर्थी जिन्होंने प्रलेखक/पाठ वाचक की सुविधा और/अथवा अतिरिक्त समय का लाभ लिया है, उन्हें दस्तावेजी सत्यापन के समय प्रलेखक/अतिरिक्त समय की पात्रता के लिए संगत दस्तावेज अवश्य प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे समर्थक दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने पर परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त कर दिया जाएगा।
- (एम) एकाक्ष (एक आंख वाला) अभ्यर्थी और आंशिक रूप से दृष्टिहीन व्यक्ति जो आवर्धक लेंस से या उसके बिना सामान्य प्रश्न-पत्र पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेंस की सहायता से उत्तर अंकित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में आवर्धक लेंस का प्रयोग करने की अनुमति होगी और उन्हें प्रलिपिक की सुविधा लेने का हक नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा में अपना आवर्धक लेंस लाना होगा।
- (एन) दिव्यांगता वाले अजा/अजजा/अपिव ऐसे व्यक्ति जो मानदंडों में छूट के बिना अन्य अभ्यर्थियों के साथ अपनी स्वयं की मेरिट पर चुने गए हैं, उन्हें अनारक्षित रिक्ति पर नियुक्त करने के लिए विचार किया जा सकता है बशर्ते वह पद संगत श्रेणी (यथा प्रयोज्य) के व्यक्तियों के लिए चिह्नित किया गया हो।
- (ओ) यदि आयु में कोई छूट की मांग की जा रही है तो संगत प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा।
- (पी) यदि कोई अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद या विवाह आदि के कारण नाम में परिवर्तन करने का दावा करता है तो उसे राजपत्र अधिसूचना प्रस्तुत करनी चाहिए।

9. कदाचार के दोषी पाये गये अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई

यदि अभ्यर्थी किसी भी चरण में कदाचार या कुछ भी गलत कार्य करते हुए पाये जाते हैं, उनकी अभ्यर्थिया रद्द कर दी जाएगी तथा भापअ केंद्र, जैसा भी उचित समझे, मामले की सूचना पुलिस/जांच एजेंसियों को कर सकती है। भापअ केंद्र संबंधित प्राधिकारियों / फोरेन्सिक विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच हेतु उचित कार्रवाई कर सकती है।

10. न्यायालयी क्षेत्राधिकार

इस भर्ती से संबंधित कोई भी विवाद मुंबई न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा और किसी भी विवाद की स्थिति में भापअ केंद्र की वेबसाइट पर दिए गए विस्तृत विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

11. कैटगरी-I वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु एवं कैटगरी - II वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु हेतु प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम

11.1 प्रशिक्षण का विषय क्षेत्र एवं अवधि

चयनित अभ्यर्थियों को देश भर में स्थित पऊवि की विविध इकाइयों में दो वर्ष का प्रशिक्षण संबंधित विषयों/ट्रेडों के विविध पहलुओं में, आवश्यकतानुसार तथा प्रत्येक विषय/ट्रेड के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार तथा विभाग की चुनौतीपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को किसी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम/प्रशिक्षण स्थान हेतु चुनाव का विकल्प नहीं दिया जाएगा।

11.2 प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा के पश्चात ग्रेड

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रशिक्षुओं को उनकी प्रशिक्षण अवधि के दौरान एवं प्रशिक्षण की समाप्ति पर लिये जाने वाले साक्षात्कार में उनके प्रदर्शन के आधार पर नियुक्ति के समय उन्हें निम्नलिखित ग्रेड में आमेलन हेतु विचार किया जाएगा।

वृत्तिकाग्राही प्रशिक्षु	पद	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	प्रारंभिक वेतन (रु.)
कैटगरी-I	वैज्ञानिक सहायक/सी	लेवल 7	44,900
कैटगरी-II	तकनीशियन/डी (डेंटल तकनीशियन)	लेवल 5	29,200
	तकनीशियन/सी	लेवल 4	25,500
	तकनीशियन/बी	लेवल 3	21,700

प्रारंभिक वेतन के अतिरिक्त केंद्र सरकार के नियमों के तहत भत्ते देय होंगे।

11.3 बंधपत्र

चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूरा करने तथा आमेलन के बाद 3 वर्ष की अवधि के लिए पऊवि की संघटक इकाइयों में कार्य करने संबंधी बंधपत्र निष्पादित करना होगा। प्रशिक्षु जो प्रशिक्षण पूरा करने में विफल रहता है अथवा/एवं आमेलन के बाद 3 वर्ष की अवधि के लिए विभाग में सेवा करने में विफल रहता है, तो वह सरकार को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान उसे प्राप्त स्टाइपेंड की कुल राशि एवं पुस्तक भत्ता तथा उसके ऊपर लागू ब्याज के बराबर की राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

12. सामान्य शर्तें

- (ए) रिक्तियां अनंतिम हैं तथा इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। विभाग के पास कोई सूचना जारी किये बिना अथवा कारण बताये बगैर पद को भरने अथवा यहां तक कि भर्ती की समस्त प्रक्रिया को रद्द /प्रतिबंधित /संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।
- (बी) अभ्यर्थी को कंप्यूटर आधारित परीक्षा/ कौशल परीक्षा/साक्षात्कार में प्रश्नों के उत्तर हिंदी अथवा अंग्रेजी (यथा लागू) में देने का विकल्प दिया जायेगा।
- (सी) विज्ञापन में यथा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, यदि कोई हो, तो उससे संबंधित पात्रता मानदंड ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के संदर्भ में निर्धारित किये जाएंगे।
- (डी) कंप्यूटर आधारित परीक्षा/कौशल परीक्षा/साक्षात्कार (यथा लागू) हेतु बाहर से बुलाये गये अजा/अजजा के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सबसे निकटतम मार्ग का स्लीपर क्लास/द्वितीय श्रेणी का आने-जाने का रेल किराया (टिकट प्रस्तुत करने पर) यात्रा भत्ता के रूप में दिया जाएगा। पहले 30 किलोमीटर (रेल या सड़क) का किराया अभ्यर्थी द्वारा वहन किया जाएगा। तथापि, यात्रा करने हेतु जो अजा/अजजा के अभ्यर्थी पहले से ही केंद्र/राज्य सरकार सेवाओं/केंद्र/राज्य सरकार के निगम/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्थानीय सरकारी संस्थानों एवं पंचायतों में कार्यरत हैं और रेलवे से यात्रा रियायत ले चुके हैं, वे इस यात्रा भत्ता के पात्र नहीं होंगे। यात्रा भत्ता की प्रतिपूर्ति अजा/अजजा जाति प्रमाणपत्र की स्व-अनुप्रमाणित प्रति एवं टिकट/ई-टिकट प्रस्तुत करने पर ही की जायेगी।
- (ई) पैनल की वैधता पैनल तैयार करने की तिथि से एक वर्ष तक की अवधि के लिए होगी। चयन सूची में शामिल अभ्यर्थी द्वारा कार्यग्रहण न करने की स्थिति में ही प्रतीक्षा सूची में सूचीबद्ध अभ्यर्थी को नियुक्ति का प्रस्ताव दिया जाएगा।
- (एफ) चयनित अभ्यर्थी भारत के किसी भी भाग में परमाणु ऊर्जा विभाग की किसी भी संघटक इकाई में कार्य करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

- (जी) नियुक्ति पर अभ्यर्थियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों का स्वरूप में परिचालन संयंत्रों एवं क्षेत्रों में सतत पारी में काम करना शामिल है।
- (एच) नियुक्त अभ्यर्थी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली द्वारा शासित होंगे।
- (आई) यदि विश्वविद्यालय/बोर्ड, लेटर ग्रेड/सीजीपीए/ओजीपीए/एसजीपीए प्रदान करता है, तो उस विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा अपनाये गये मानकों के अनुसार उन ग्रेडों को समतुल्य अंक प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाना चाहिए अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (जे) अजा/अजजा/अपिव वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा (भले ही वे अनारक्षित रिक्ति के लिए आवेदन कर रहे हों) तथा कंप्यूटर आधारित परीक्षा/कौशल परीक्षा/दस्तावेज सत्यापन/साक्षात्कार (यथा लागू) के समय सबूत के तौर पर निर्धारित प्रारूप में तत्संबंधी प्रमाण प्रस्तुत करना चाहिए।
- (के) सभी PwBD चिन्हित पदों के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षण किया गया है। तदनुसार जिन अन्य पदों के लिए आरक्षण नहीं किया गया है, वे PwBD के लिए गैर-पहचाने गए पद हैं।
- (एल) भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी पुनर्नियोजन के लिए उन्हें दिए गए आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के बाद नियमित आधार पर केंद्र सरकार के तहत सिविल पक्ष में रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे पूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं।
- (एम) अभ्यर्थी को भापअ केंद्र के साथ किसी भी पत्राचार करते समय अपना नाम, जन्मतिथि और परीक्षा का नाम के साथ पंजीकरण संख्या, रोल नंबर, पंजीकृत ई-मेल आईडी और मोबाइल नंबर लिखना चाहिए। इन विवरणों के बिना अभ्यर्थियों से प्राप्त पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (एन) जिन अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है, उनके अभिलेख पैनल के प्रकाशन की तिथि से 06 माह से अधिक संरक्षित नहीं रखे जायेंगे।
- (ओ) भर्ती से संबंधित समस्त जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवायी जाएगी। वेबसाइट पर प्रदर्शित जानकारी को अभ्यर्थियों के लिए सूचना माना जाएगा। अभ्यर्थीगण नियमित रूप से वेबसाइट देखें।

13. किसी भी प्रकार के पक्ष-प्रचार को अयोग्यता माना जायेगा

14. अभ्यर्थियों के लिए चेतावनी

14.1 यदि आपके पास कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गैर कानूनी तुष्टिकरण के माध्यम से इस विभाग में आपके चयन/नियुक्ति का आश्वासन देता है, तो अभ्यर्थी को इस प्रकार के आश्वासन अथवा शोषण का शिकार नहीं बनना चाहिए तथा किसी प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को मौका या प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। इस बात पर बल देते हुए पुनः आश्वासन दिया जाता है कि चयन प्रक्रिया केवल योग्यता के आधार पर और पारदर्शी तरीके से की जाएगी।

14.2 अभ्यर्थियों से निवेदन किया जाता है कि वे नियमित रूप से हमारी वेबसाइट देखें। यह ध्यान में लाया जाता है कि कुछ अनैतिक व्यक्तियों द्वारा पऊवि/भापअ केंद्र के नाम/लोगो को नकली रूप से प्रस्तुत करते हुए छलपूर्ण विज्ञापन तथा नौकरी के प्रस्ताव दिये जाने की संभावना है और नौकरी दिलवाने के झूठे वचन देते हुए धोखा देने का प्रयास किया जा सकता है। ये व्यक्ति नौकरी का प्रस्ताव देते हुए संवेदनशील व्यक्तिगत/वित्तीय जानकारी एवं भुगतान की मांग करते हैं। आवेदकों का ध्यान कुछ ऐसे कपटी व्यक्तियों की ओर भी आकर्षित किया जाता है जो अवैध मोबाइल नंबरों/फर्जी ई-मेल/एसएमएस/सोशल प्लेटफार्म/व्हाट्सअप पर लिंक/फर्जी वेबसाइटों आदि के माध्यम से नौकरी चाहने वालों से संपर्क करते हैं और पऊवि/भापअ केंद्र में नौकरी के अवसरों का प्रस्ताव देते हैं तथा रिफंडेबल सुरक्षा जमा अथवा अन्य शुल्क के माध्यम से कुछ नकली एवं अवैध बैंक खातों में पैसा जमा करने की मांग करते हैं। पऊवि/भापअकें, नौकरी के प्रस्ताव हेतु आवेदन शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप या पद्धति में किसी भी व्यक्ति से प्रतिदेय अथवा अप्रतिदेय किसी भी आधार पर कोई भुगतान नहीं मांगता है। यह सूचित किया जाता है कि पऊवि/भापअकें में सभी रिक्तियों एवं भर्ती सूचना भापअ केंद्र की वेबसाइट पर, रोजगार समाचार एवं प्रमुख समाचार पत्रों में अधिसूचित की जाती हैं। पऊवि/भापअकें रिक्तियों हेतु आवेदन करने का लिंक भापअकें की आधिकारिक वेबसाइट www.barc.gov.in / recruit.barc.gov.in पर उपलब्ध है, किसी अन्य वेबसाइट पर नहीं। केवल ऑनलाइन आवेदन की अंतिम प्रस्तुति के समय आवेदन शुल्क देय है तथा भर्ती के किसी भी चरण में कोई अन्य भुगतान नहीं मांगा जाता है। इस सूचना के माध्यम से सभी नौकरी आकांक्षी अभ्यर्थियों के संज्ञान में यह बात लायी जाती है कि वे सावधानी बरतें तथा ऐसे झूठे विज्ञापनों से गुमराह न हों। पऊवि/भापअ केंद्र में भर्ती प्रक्रिया पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है तथा विशुद्ध रूप से योग्यता पर आधारित है। अद्यतन जानकारी/अपडेट अथवा इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी अन्य गतिविधि हेतु कृपया

नियमित रूप से हमारी वेबसाइट देखें। पऊवि/भापअ केंद्र की ओर से इस बात की पुरज़ोर सिफारिश की जाती है कि संभावित नौकरी आकांक्षी अभ्यर्थी ऐसे लोभपूर्ण अनुरोध का उत्तर न दें क्योंकि पऊवि/भापअ केंद्र कपटी व्यक्तियों अथवा भर्ती एजेंसियों के साथ पत्राचार के माध्यम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के लिए कोई उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा। यदि ऐसी कोई छलपूर्ण घटना या धोखाधड़ी आपकी नज़र में आती है, तो कृपया तत्काल ही उचित सरकारी प्राधिकारियों से संपर्क करें।

15. इस विज्ञापन के लिए कोई भी शुद्धिपत्र/विस्तार सूचना केवल हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। तदनुसार, अभ्यर्थियों से निवेदन किया जाता है कि वे नियमित रूप से हमारी वेबसाइट देखें।

यह विज्ञापित हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

- XXXX -

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो। जहां कि फोटोग्राफ प्रमाणपत्र का आवश्यक अंग है, वहां आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल प्रमाणित फोटो प्रतियां ही स्वीकार करेगा न कि कोई अन्य प्रमाणित या सही प्रतिलिपि।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी*.....
पुत्र/पुत्री.....निवासी ग्राम/कस्बा*.....
जिला/संभाग..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र*..... के
.....जाति/जनजाति से संबंधित है जो निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/
अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है :-

- संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950
- संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 *
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची(परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976* द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959
- संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962
- संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962 @ .
- संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 @
- संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 @
- संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968 @
- संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 @
- संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978 @
- संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989 @

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991 @
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996 @
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
 संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002 @
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 @

%2. यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू हैं जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी*..... के माता/पिता श्री/श्रीमती.....
 निवासी ग्राम/कस्बा*..... जिला/संभाग*..... राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र*
 को जारी किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया
 जाता है जो जाति/जनजाति से संबंधित है जो दिनांक
 द्वारा जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति
 के रूप में मान्यता प्राप्त है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी..... और/या* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा*.....
 जिला/संभाग*..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र..... में रहता है।

हस्ताक्षर _____

**पदनाम _____

(कार्यालय की मोहर सहित)

स्थान _____
 दिनांक _____

* शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@ राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी :- यहा प्रयुक्त शब्द सामान्तः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

** जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची

- जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/ प्रथम श्रेणी के स्टाईपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/ एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अपर मुख्य प्रेसीडेंसी/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।
- क्षेत्र का सब डिविजनल आफिसर जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

टिप्पणी: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(भारत सरकार के अंतर्गत पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़ा वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... सुपुत्र/सुपुत्री
श्री..... जो ग्राम/नगर..... जिला/मंडल..... राज्य/संघ
शासित प्रदेश..... का/की निवासी है, समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं..... दिनांक के अंतर्गत एक पिछड़ी
श्रेणी के रूप में मान्यता प्राप्त है।

श्री/श्रीमती कुमारी..... और/या उसका परिवार सामान्यतः
..... जिला/संघ शासित प्रदेश के जिले/मंडल में निवास करता है। यह भी प्रमाणित
किया जाता है कि वह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के दिनांक 08.09.1993** के का.ज्ञा. सं. 36012/22/93-
स्था.(एससीटी), की अनुसूची के कॉलम 3 में दिए गए व्यक्तियों/वर्गों (क्रिमी लेयर) से संबंधित नहीं है।

जिला मेजिस्ट्रेट: _____

उपायुक्त आदि : _____

दिनांक:

सील:

*प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी को भारत सरकार के संकल्प के विवरण का उल्लेख करना होगा, जिसमें अभ्यर्थी की जाति को अन्य पिछड़ावर्ग के रूप में दिया गया है।

**समय-समय पर यथासंशोधित।

टिप्पणी : यहाँ प्रयुक्त शब्द सामान्तः निवास करते हैं का वहीं अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारीकर्ता प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला
आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-पत्र

प्रमाणपत्र सं. _____

दिनांक _____

वित्तीय वर्ष _____ के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पति/पुत्री.....
ग्राम/कस्बा..... पोस्ट ऑफिस..... थाना.....
तहसील..... जिला..... राज्य..... पिन कोड..... के स्थायी
निवासी है, जिनका फोटोग्राफ नीचे अभिप्रमाणित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य हैं, क्योंकि वित्तीय वर्ष _____ में
इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वामित्व में निम्नलिखित में से कोई भी
परिसंपत्ति नहीं है :-


- I 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर ;
- II एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट ;
- III अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड ;
- IV अधिसूचित नगरपालिका से इतर क्षेत्र में 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखंड ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी जाति..... के सदस्य हैं, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं है।

हस्ताक्षर कार्यालय का मुहर सहित _____

नाम _____

पदनाम _____



*टिप्पणी 1: आय में सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यापार, व्यवसाय आदि से आय शामिल है।

**टिप्पणी 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन और उसके पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***टिप्पणी 3: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा धारित संपत्ति को जोड़ा गया है।

फार्म-V निशक्तता प्रमाणपत्र

(विच्छेदन या अंग के पूरी स्थाई पक्षाघात के मामले अथावा बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखिए]

(प्रमाणपत्र जारी करने संबंधी चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

निशक्त व्यक्ति का
हाल ही का पासपोर्ट
आकार का
अनुप्रमाणित फोटो
(केवल चेहरा दिखता
हो)

प्रमाणपत्र सं. _____

दिनांक: _____

यह प्रमाणित किया जाता है मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी..... पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
..... जन्म की तारीख आयु वर्ष
..... पुरुष/महिला..... रजिस्ट्रेशन नं. मकान
नं..... वार्ड/गांव/गली..... डाकघर
जिला..... राज्य..... का स्थायी निवासी जिनकी फोटो ऊपर लगी हुई है की
सावधानीपूर्वक जांचकर ली है और मैं संतुष्ट हूँ कि :

(क) उनका मामला :

- गतिविषयक निःशक्तता
- बौनापन
- नेत्रहीनता का है

(कृपया जो लागू हो, उस पर सही का निशान लगाएं)

(बी) उनके मामले में निदान किया गया है।

(सी) वे दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या और जारी होने की तारीख निर्दिष्ट किया जाना है) के अनुसार
अपने (शारीरिक अंग) के संबंध में% (अंक में) % (शब्दों में) स्थायी
गतिविषयक दिव्यांगता/बौनापन/नेत्रहीनता से पीड़ित है।

2. आवेदक ने आवास के प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं :-

दस्तावेज का स्वरूप	जारी होने की तारीख	प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का ब्यौरा

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षर और मोहर)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे की छाप
जिसके पक्ष में दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी किया है।

प्रपत्र – VII निशक्तता प्रमाण पत्र
(फार्म V में उल्लिखित मामलों से अन्यथा)
(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता) (नियम 18(1) देखें)

निशक्त व्यक्ति का हाल ही का पासपोर्ट आकार का अनुप्रमाणित फोटो (केवल चेहरा दर्शाया हो)

प्रमाणपत्र सं. _____

दिनांक: _____

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/ श्रीमती/ कुमारी सुपुत्र/ पत्नी/ सुपुत्री श्री जन्म तिथि (तिथि/माह/वर्ष)..... आयु..... वर्ष, पुरुष/महिला..... पंजीकरण संख्या स्थायी निवास मकान नं. वार्ड/गांव/गली डाकघर जिला..... राज्य..... के स्थायी निवासी है, जिनकी फोटो ऊपर चिपकायी गई है, की सावधानीपूर्वक जांच की है और मैं संतुष्ट हूँ कि वह निशक्तता से ग्रस्त हैं। मार्गनिर्देशों के अनुसार (विशेष रूप से उल्लेख किया जाए) उनकी स्थायी शारीरिक दौर्बल्यता/निशक्तता के प्रतिशन की सीमा का मूल्यांकन किया गया है और निचे तालिका में उपयुक्त निशक्तता के सामने दर्शाया गया है :

क्र.सं.	निशक्तता	शरीर के प्रभावित अंग	निदान	स्थायी शारीरिक दौर्बल्य/ मानसिक दिव्यांगता (%में)
1.	गति विषयक दिव्यांगता	@		
2.	मांशपेशियों में कमजोरी			
3.	उपचारित कुष्ठ रोग			
4.	प्रमशितष्कीय पक्षाघात			
5.	तेजाब के हमले में जले पीडित			
6.	अल्प दृष्टि	#		
7.	बधिरता	€		
8.	श्रवण दिव्यांगता	€		
9.	वाक् और भाषा संबंधी दिव्यांगता			
10.	बौद्धिक दिव्यांगता			
11.	विशिष्ट अभिगम दिव्यांगता			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक रोग			
14.	चिरकालिक तांत्रिका संबंधी विकार			
15.	मल्टीपल स्लेरोसिस			
16.	पार्किंसंस रोग			
17.	हेमोफिलिया			
18.	थेलेसेमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(कृपया उस निशक्तता को काट दें जो लागू नहीं है)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगामी है / गैर-प्रगामी है / इसमें सुधार होने की संभावना है / सुधार होने की संभावना नहीं है।
3. निशक्तता का पुनःमूल्यांकन:
 - (i) आवश्यक नहीं हैं, अथवा
 - (ii) वर्ष..... माह के पश्चात पुनःमूल्यांकन की अनुशंसा की जाती है और इसलिए यह प्रमाण पत्र (तारीख/माह/वर्ष) तक मान्य रहेगा।

@ - उदाहरणतः बायां/दायां/दोनों बाहें/टांगे

- उदाहरणतः एक आंख/दोनों आंख

€ - उदाहरणतः बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने अपने निवास के प्रमाण स्वरूप निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किया है :

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तारीख	प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकारी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षर

{यदि यह प्रमाण पत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो एक सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/सरकारी अस्पताल के प्रमुख्याद्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा (मुहर सहित)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
जिसके लिए निशक्तता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

टिप्पणी: यदि यह प्रमाणपत्र ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है तो जो सरकारी कर्मचारी नहीं है तो यह उस जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने पर ही वैध होगा ।

परीक्षार्थी में लिखने की शारीरिक अक्षमता संबंधी प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती (विकलांग अभ्यर्थी का नाम) सुपुत्र श्री/सुपुत्री श्री निवासी (गांव/जिला/राज्य) जो (दिव्यांगता प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित दिव्यांगता की प्रकृति और प्रतिशतता) से ग्रस्त है, का परीक्षण किया है तथा मैं यह कथन करता हूँ कि वह शारीरिक अक्षमता से ग्रस्त है जो उसकी शारीरिक सीमाओं के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती हैं।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/
चिकित्सा अधीक्षक सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान
नाम एव पदनाम/ सरकारी अस्पताल का नाम/
हेल्थ केअर सेंटर की मोहर

स्थान : _____

दिनांक : _____

टिप्पणी : प्रमाणपत्र संबंधित रोग/दिव्यांगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए। (उदाहरण के लिए नेत्रहीनता-नेत्र रोग विशेषज्ञ, गतिविषयक दिव्यांगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर)

अपने प्रलेखक की सुविधा लेने हेतु वचनबंध

मैं.....(नाम).....(दिव्यांगता का नाम) दिव्यांगता से ग्रस्त हूँ तथा
अनुक्रमांक के तहत..... (राज्य का नाम) जिले के
..... (परीक्षा केंद्र का नाम) पर (परीक्षा केंद्र का नाम)
केंद्र पर (परीक्षा का नाम) की परीक्षा में बैठ रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता
..... है।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उपर्युक्त परीक्षा देने के लिए श्री (प्रलेखक का नाम)
अधोहस्ताक्षरी को प्रलेखक/रीडर/लैब असिस्टेंट की सेवा प्रदान करेंगे।

मैं एतद्वारा यह कथन करता हूँ कि उसकी शैक्षणिक योग्यता है। यदि बाद में यह पाया
जाता है कि उसकी शैक्षणिक योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा घोषित किये अनुसार नहीं है और मेरी शैक्षणिक योग्यता से अधिक पाई
जाती है तो मैं इस पद और तत्संबंधी दावों पर अधिकार से वंचित कर दिया जाऊंगा।

(दिव्यांगता वाले अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

स्थान: _____

दिनांक : _____